सेवा में,

श्रीमान् न्यायमूर्ति

एन0जी0टी0 प्रिंसिपल बेंच कोर्ट नं0—2

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि :—

1. मेरा ओरिजनल अप्लीकेशन पर केस नं0 422 / 2023 दर्ज है जो कि कोर्ट नं0—2 में न्यायमूर्ति अरूण कुमार त्यागी, जुडीशियल मेम्बर आदरणीय डा0अफरोज अहमद की बेंच में चल रहा है।

2. श्रीमान् बेंच की रोक के बावजूद ग्राम जरर में 4 इंच होल करके ब्लास्टिंग की जा रही है, ब्लास्टिंग के पत्थर से लोगों घर टूट रहे हैं, स्थानीय लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बांदा जिलाधिकारी से शिकायत भी की है लेकिन खनिज अधिकारी व नरैनी एस0डी0एन0 की मिलीभगत से लगातार सभी पट्टों में 4 इंच होल करके ब्लास्टिंग की जा रही है। (शिकायत पत्र व फोटो संलग्न है)

3. ब्लास्टिंग के कारण पत्थर की भीषण धूल उड़ती है जिसकी वजह से खेतों की फसल चौपट हो रही है और यह धूल खेतों व लोगों के घरों तक जा रही है, ब्लास्टिंग के समय किसी भी तरह का सायरन नहीं बजाया जाता (शिकायत पत्र व फोटो संलग्न हैं)।

4. जरर ग्राम में चल रही 4 क्रेसर में अभी भी किसी मानक का पालन नही हो रहा है क्रेसर से बराबर पत्थर की धूल उड़ रही है बाउण्ड्रीवाल भी नहीं बनी है। क्रेसर मशीन को भी नहीं ढका गया है।

5. लगातार ओवर लोड परिवहन हो रहा है,सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है ट्रक निकलने से उड़ने वाली धूल खेतों में जाकर फसल चौपट कर रही है और राहगीरों के फेंफड़ो में जा रही है।

6. श्रीमान् मेरा वाद सं0 422 / 2023 के मामले में टीम जब निरीक्षण करने आयी थी तब मूसलाधार बारिस हो रही थी इसलिए वायु प्रदूषण का सही आंकलन नहीं हो पाया था और बहुत ही जगहों का निरीक्षण भी नहीं हो पाया था।

7. श्रीमान् मेरी बेंच से व न्यायमूर्ति से विनम्र अपील है कि तत्काल सभी पट्टों की ब्लास्टिंग रोक दी जाये और क्रेसर संचालन रोक दिया जाये क्योंकि कहीं भी मानकों का पालन नही हो रहा है, स्थिति पहले से भी कहीं ज्यादा खराब होती जा रही है। मजबूरी में लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे है।

Date — 17-3-2024

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
16 APR 2024
Dairy No. 1883
Signature

Abhishek Shukla

प्रार्थी
अभिषेक शुक्ला
422 / 2023,बांदा
9532378469

OA 422/2023
Ld. R.G.
18-4-2024

सेवा में

श्री मान
जिलाधिकारी
बांदा

विषय - पहाड़ पट्टा धारकों द्वारा 4 इंच ब्लास्टिंग करने से जान-माल की हानि के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम सभी ग्राम जरर, थाना गिरवां तहसील नरैनी के निवासी है। श्री मान हमारे यहां के पहाड़ में जो पट्टे हैं उनमें 4 इंच का होल करके ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग के पत्थर हमारे घरों में गिरते हैं। हम लोगों को लगातार जान का खतरा बना हुआ है। मना करने पर ठेकेदार धमकी देते है। कि ज्यादा बोलोगे तो पुलिस में पकड़वा देंगे। श्री मान कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हमारे घर गिर रहे है। ऐसी दशा में हम कहां जाए।

दिनांक. 4-3-2024

रामबहादुर कोरी चुनकवी कोरी
हीरालाल कोरी गिरिजा कोरी
रामदीन " गेंदा कोरी
शिवबहादुर " कल्ली कामवाली
राजबहादुर "
राजेन्द्र "
राममित्र यादव
मैकू अनुरागी कोरी

प्रार्थीगण
ग्राम जरर थाना गिरवां

Ashok K Shukla

सेवा में

श्री मान जिलाधिकारी
बांदा

महोदय,

हमारे खेत ग्राम जरर, काली पहाड़ी के किनारे पड़ते है काली पहाड़ि में विनोद रजा व अन्य द्वारा 4 इंच का होल करके ब्लास्टिंग की जा रही है जिसकी वजह से हमारी फसलें नष्ट हो रहीं है। बरसात में पट्टाधारको द्वारा फैलाई गई मोरम बह कर हमारे खेत में आ जाती है जिससे हमारा खेत खराब हो रहा है कृपया उचित कार्यवाही करें।

दिनांक 15-03-2024

प्रार्थी
विनोदकुमार / केशवप्रसाद
देवनारायण
रामलखन
मनोज
अनिल
9559921241

Akhilesh K Shukla

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

बाँदा

विषय– जरर पहाडी में की जा रही ब्लास्टिंग (विस्फोट) से पशुधन व फसल व जनधन को सख्त खतरे को तत्काल रोके जाने व विधिक कार्यवाही हेतु एवं ट्रकों के चलने से उडने वाली धूल एवं पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम पिथौराबाद थाना गिरवां तहसील नरैनी के निवासी हैं। प्रार्थीगण की कृषि उपजाऊ भूमि गाटा संख्या 549, 551 रकबा 0.5510, 0.3760 है0 जरर पहाडी से लगा हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त खेती खोही मौजा के अन्तर्गत आती है। ग्राम खोही का राजस्व रकबा जरर पहाडी से संलग्न है। जरर पहाडी गाटा सं0 2451 के खनिज ठेकेदार/कम्पनी मलहोत्रा ग्रुप व उनके खनिज कर्मी आयेदिन खतरनाक जान घातक विस्फोटक लगाकर पत्थर ब्लास्टिंग करते हैं जिससे प्रार्थी के खेतों की तरफ ब्लास्टिंग से हुई पत्थर के टुकडों की बौछार होती है जिससे ज्वार, अरहर, साग–सब्जी के छोटे–छोटे पौधे पत्थर के गिरने से चोटहल होकर नष्ट हो जाते हैं जिससे फालतू मवेसी पशुओं को सख्त खतरा बना रहता है तथा फसल तथा फलदार कई पेड पत्थरों की चोट से छतिग्रस्त हो गये हैं जिससे प्रार्थीगण के सामने जन–धन हानि की विषम समस्या का संकट खडा हो गया है। चार इंची ब्लास्टिंग से निकलने वाली दूषित गैस से हमारी फसली पौधे सूख रहे हैं। ट्रकों के चलने से उडने वाली धूल हमारी साग–सब्जी के पौधों एवं फसलों पर बैठ जाती है जिससे पौधों का विकास रूक जाता है व मुरझाकर सूख जाते हैं। खान के बैरिकेटिंग न होने से अन्ना मवेशी खान में गिरकर मर चुके हैं साथ ही सौ मीटर पर बस्ती एवं चार सौ मीटर पर प्राईमरी स्कूल है। प्रार्थीगण अनेक बार लिखित में शिकायत जिला प्रशासन, खनिज एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में किया है लेकिन दो वर्ष बीत चुके हैं किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार करते हुए मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल नियंत्रण हेतु त्वरित कार्यवाही हेतु प्रभावी आदेश जारी करने की कृपा करें। सधन्यवाद।

दिनांक– 09/03/024

प्रार्थीगण

रामनाथ

रामनाथ पुत्र स्व0 रौचीलाल कुशवाहा

ग्राम–पिथौराबाद थाना गिरवां तहसील नरैनी जिला बांदा

मो0नं0– 9455175571

सीताराम प्रेमनारायण

रामनरेश

बबली

Abhishek 8454Rlog

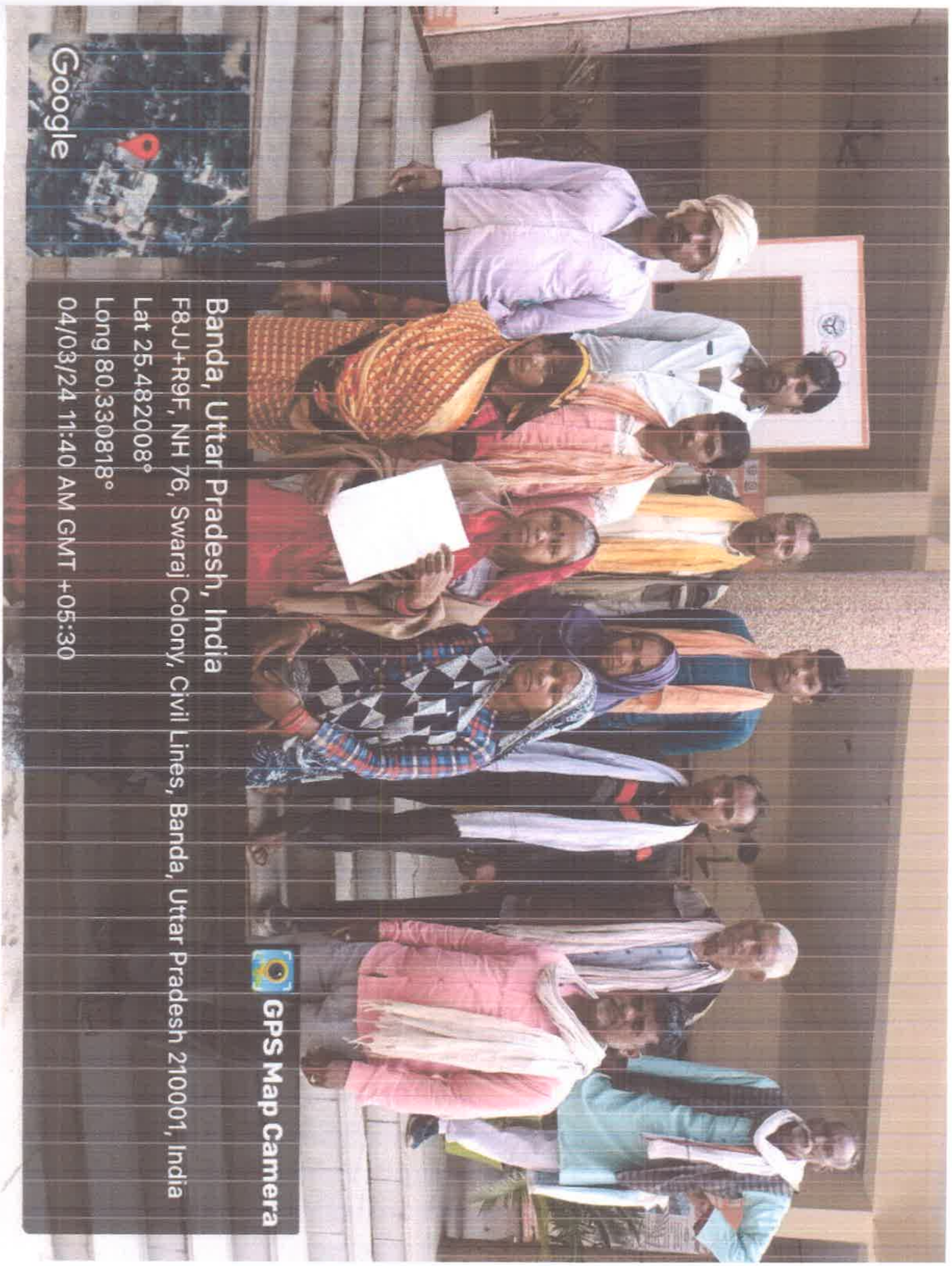

जिलाधिकारी कार्यालय में खड़े ग्रामीण

कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध जताते ग्रामीण।

रोक के बावजूद पहाड़ों में हो रही ब्लास्टिंग, प्रदर्शन

सौंपा ज्ञापन

- जरर के ग्रामीणों ने डीएम से की मामले की शिकायत
- आरोप घरों पर आकर गिरते पत्थर, विरोध पर देते धमकी

बांदा, संवाददाता। नरैनी क्षेत्र के जरर गांव में पहाड़ों में ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान हैं। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। आरोप लगाया कि रोक के बावजूद अवैध खनन कराया जा रहा है। जिस पर कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने बताया कि एनजीटी की रोक के बावजूद पहाड़ में अवैध खनन हो रहा है। प्रतिबंधित चार इंची का होल करके ब्लास्टिंग की जा रही है। गांव के घरों की छतों और आंगन तक ब्लास्टिंग के पत्थर आते हैं। ग्रामीणों को हर समय पत्थर लगने का खतरा बना रहता है। मना करने पर ठेकेदार द्वारा जानमाल की धमकी दी जाती है। रामबहादुर, चुनकी, हीरालाल; रामदीन, शिवबहादुर, गेंदा, कल्ली, राममिलन, मैकू आदि ने मामले की जांच करवाकर अवैध ब्लास्टिंग और खनन रूकवाए जाने की मांग की है। अन्यथा की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी है।

Hindustan 8/4/19

पहाड़ों में ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान

जिलाधिकारी से कार्यवाही करने की लगाई गुहार

डीएम को ज्ञापन देने जाते ग्रामीण। छाया:आज

(आज समाचार सेवा)

बांदा, 4 मार्च। पहाड़ों की ब्लास्टिंग से घरों में पत्थर के टुकड़े गिरने से लोग परेशान व दहशत में हैं। इस मामले को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करवाये जाने की मांग की है।

नरैनी तहसील के ग्राम जरर के रामबहादुर कोरी, हीरालाल, रामदीन, शिवबहादुर, राजबहादुर, राजेंद्र, राममिलन यादव, मैकू अनुरागी, कल्ली, चुनबादी आदि ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि हमारे यहां के पहाड़ में जो पट्टे हैं उनमें चार इंच का होल करके ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग के पत्थर हमारे घरों में गिरते हैं। जिससे हम लोगों को लगातार जान का खतरा बना हुआ है। मना करने पर ठेकेदार धमकी देते हैं कि ज्यादा बोलेगे तो पुलिस में पकड़वा देंगे। अगर इस पर कार्यवाही नही हुई तो कभी भी जनहानि हो सकती है। पत्थर के टुकड़ों से घर भी गिर रहे हैं। उन्होंने मांग किया है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही ब्लास्टिंग बंद करवाई जाये। जिससे कोई अप्रिय घटना न घट सके।

फसलों के नुकसान को

नरैनी (बांदा) 4 मार्च। क्षेत्र में ओलावृष्टि व ब ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किसानों की हुई फसल के क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। विधायक ओममणि वर्मा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में ब

विधानसभा क्षेत्र में लगात बार ओलावृष्टि व वर्षा जिससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गयीं। सब चना, मटर, सरसों, मसूर गेंहू आदि की फसलें ओला बरसने से बर्बाद हो जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है। सबसे ज्यादा किसान फसलें उगाता है। उन्होंने किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध करा फसल बीमा का लाभ दि की मांग की है।

खोया मोबाइल बरा

बांदा, 4 मार्च। पुलिस अधीक्षक अंकुर अ निर्देशन में थाना गिरवां पुलिस द्वारा मनीपुर के र जितेंद्र पुत्र लल्लूराम के खोये मोबाइल बरामद क स्वामी को सुपुर्द किया गया। मोबाइल वाप व्यक्ति ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

Abhishek Shukla

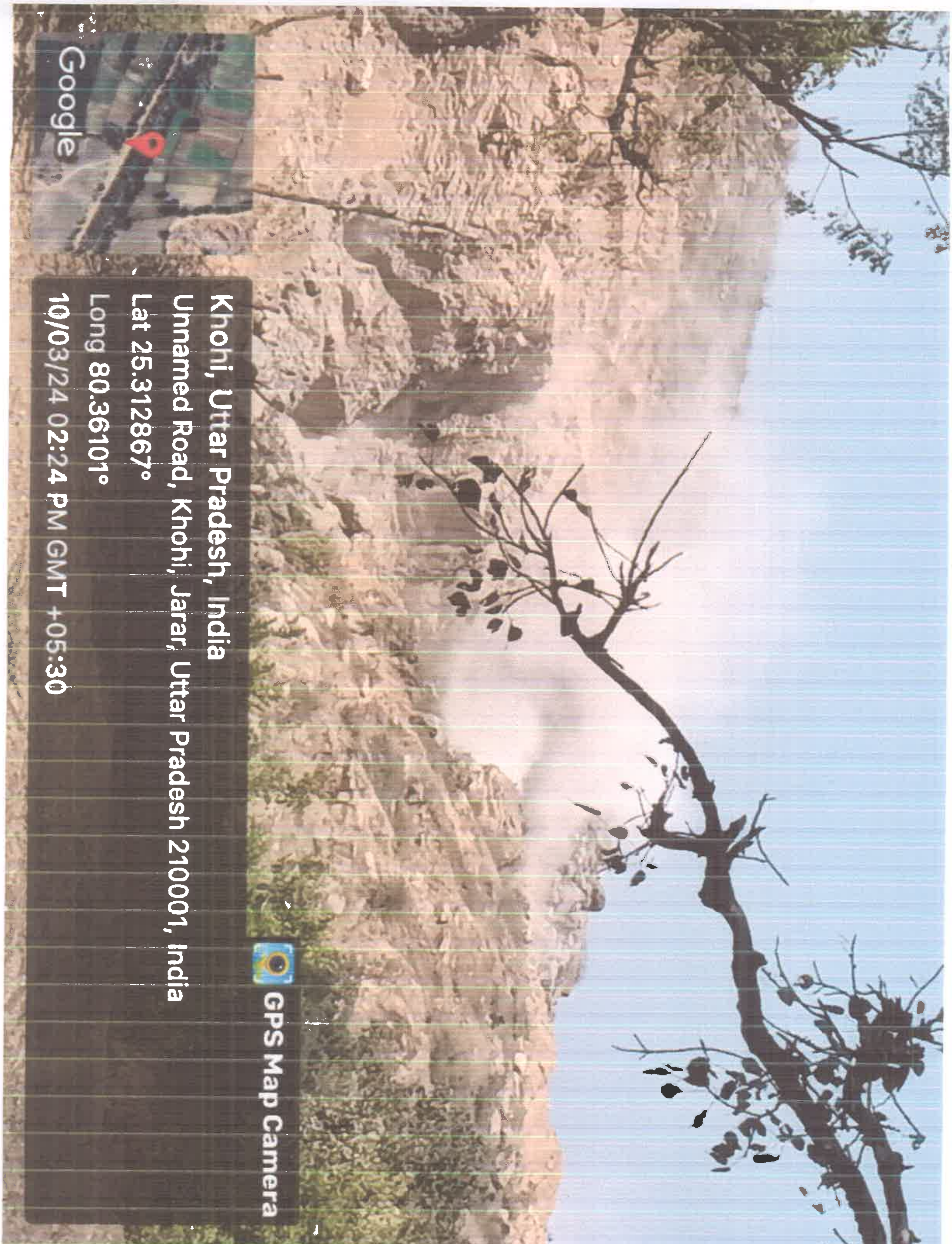

4 इंच का होल करके ब्लास्टिंग से उड़ती धूल

छत में पत्थर गीरने से हो गया बडा होल

छत का छेद पत्थर गिरने से

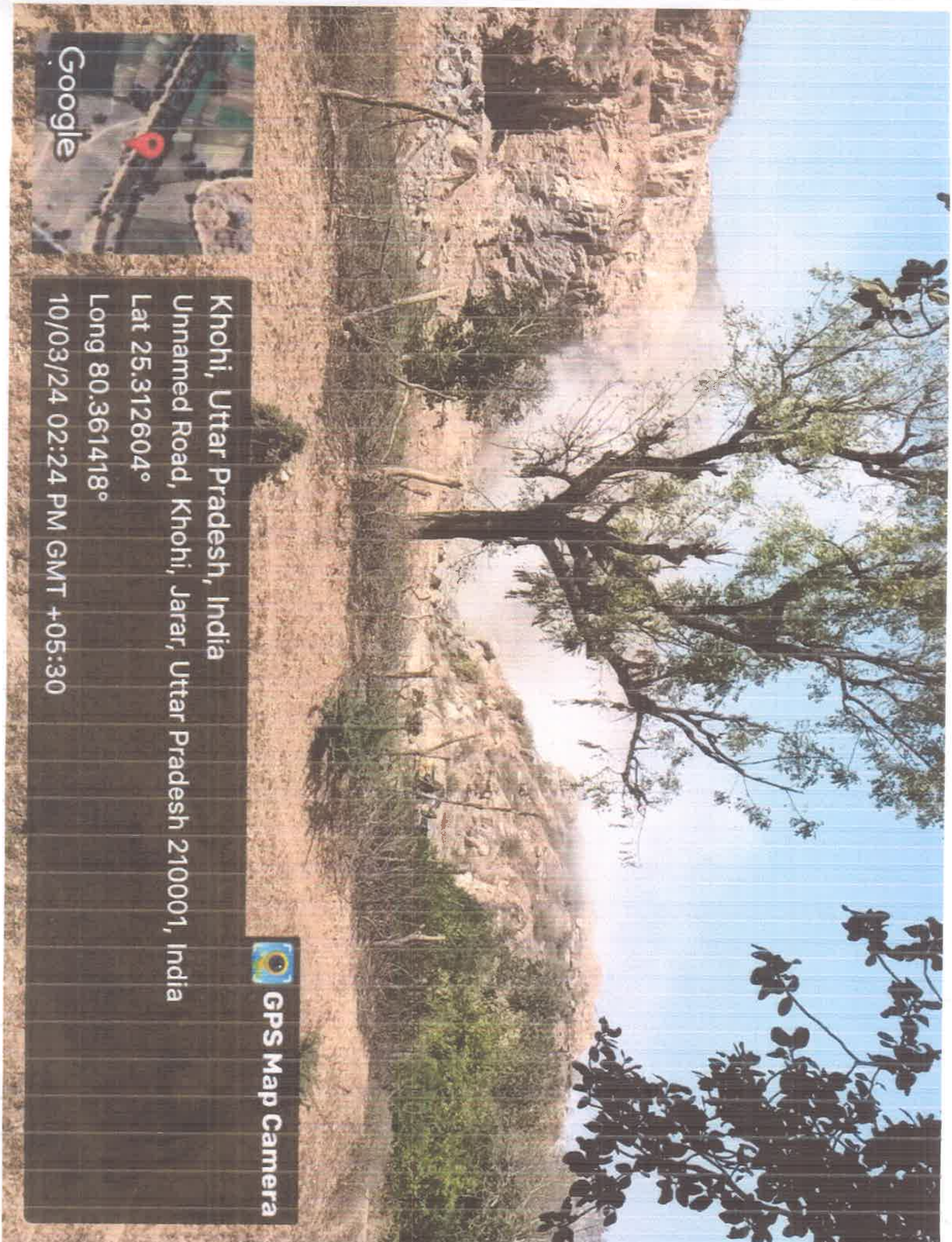

4 इन्च (अवैध) विस्फोट के बाद खेतों में जाती पत्थर की धूल

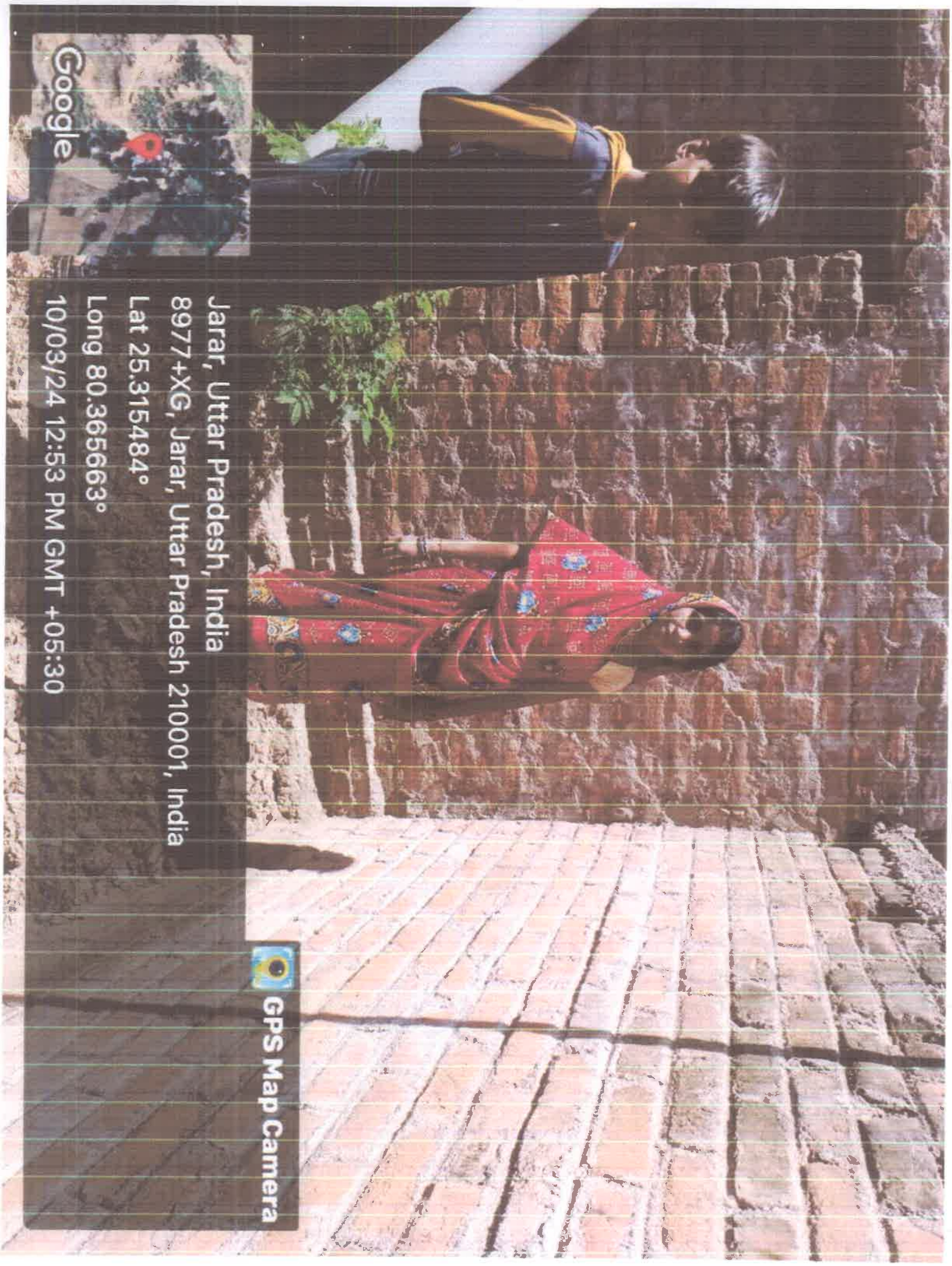

घर की पटकी दीवाले दिखाती महिला, विस्फोट के बाद